रजिस्टर सं डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4, 1981 (चैत्र 14, 1903)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4, 1981 (CHAITRA 14, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	303
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	421
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	395
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	4467
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	169
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	977
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	59

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

1—1 GI/81w.e.f. April 4, 1981

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	303
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	421
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	395
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4467
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	169
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	977
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	59

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1981

सं० 16—प्रेज/81—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अर्जुन विष्णु चिन्धे,
निशस्त्र हैड कांस्टेबल,
बी० नं० 1965, बम्बई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन,
बम्बई
महाराष्ट्र।

श्री पांडुरंग दगू गडेकर,
निशस्त्र पुलिस कांस्टेबल,
बी० नं० 2551, सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन,
बम्बई,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

8 जुलाई, 1980 को प्रातः लगभग साढ़े सात बजे जब बम्बई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन के कर्मचारी सादे कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अपरिचित व्यक्तियों और बदमाशों पर निगरानी रखे हुये थे, तो एक कांस्टेबल ने जिसे एक गवाही की गतिविधियों पर संदेह हो गया उस अजनबी को संबोधित करते हुए उसके थैले की तलाशी ली। उसकी तौलिये में लिपटा एक रामपुरी चाकू मिला। पुलिस कांस्टेबल ने अपने सहयोगियों को सहायता के लिये आवाज लगाई। इस बीच अजनबी ने थैला गिरा दिया और राज्य परिवहन बस अड्डे के भवन की ओर दौड़ा जो बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। श्री अर्जुन विष्णु चिन्धे और श्री पाण्डुरंग दगू गडेकर, जो ड्यूटी पर थे, ने उसका पीछा किया और दिलशाद इनायतखां पठान नामक अजनबी को पकड़ लिया। परन्तु राज्य परिवहन डिपो के सुरक्षा गार्ड ने हस्तक्षेप किया और दोनों पुलिस कर्मचारियों से परिचय मांगा। जब श्री गडेकर अपना परिचय पत्र दिखा रहे थे, तो अजनबी ने स्वयं को उनकी पकड़ से मुक्त कर लिया और अपनी पैंट की जेब से एक भरी हुई स्वचालित पिस्तौल निकाली और पुलिस कर्मचारियों को डराने के उद्देश्य से हवा में चार राउंड गोलियां चलाई। श्री चिन्धे ने तब तक निर्भीक होकर, अभियुक्त, जिसने अपनी पिस्तौल को उनकी ओर ताना, के साथ हाथापाई की, जब तक श्री गडेकर उनकी सहायता के लिये वहीं आ गये और उन्होंने अजनबी का हाथ न पकड़ लिया। हाथापाई में श्री पाण्डुरंग दगू गडेकर जांघ में गोली लगने से घायल हो गए। श्री चिन्धे ने अभियुक्त के हाथ से जबरदस्ती पिस्तौल छीन ली और उसे निहत्था कर दिया।

इस कार्रवाई में श्री अर्जुन विष्णु चिन्धे और श्री पाण्डुरंग दगू गडेकर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 17—प्रेज/81—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री टी० आर० कक्कड़,
पुलिस उपायुक्त/केन्द्रीय,
दिल्ली।

श्री हरी देव,
सहायक पुलिस आयुक्त,
दिल्ली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

14 सितम्बर, 1979 को पुरानी दिल्ली में गंभीर दंगे भड़क उठे। सूचना मिलने पर श्री टी० आर० कक्कड़ अपने कार्यालय के संतरी की राइफल लेकर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने पर क्रोधित भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया परन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। क्रुद्ध भीड़ ने उन पर प्रहार किया और उन्हें डंडे मारे। सड़क की बिजली काट दी गई और सारे क्षेत्र में एकदम अंधेरा हो गया। उपद्रवियों ने सड़क पर अवरोध खड़े कर दिये थे और पुलिस के लिये आगे बढ़ना असंभव हो गया। चारों ओर बहुत अव्यवस्था थी। ईंट पत्थर और विस्फोटक लगातार फेंके जा रहे थे। श्री कक्कड़ को चेहरे पर चोट लगी और उनकी नाक में से खून बहने लगा। उपद्रवियों ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। उनकी राइफल छीनने के भी प्रयास किये गये। अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए श्री कक्कड़ ने अपनी राइफल से कुछ सुव्यवस्थित गोलियां चलाईं और भीड़ को तितर बितर कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर श्री हरी देव भी तुरन्त उस क्षेत्र की ओर गये और चौक हाथी खाना तथा पायवालान के रास्ते जामा मस्जिद पहुंचे। वे लड़ते हुए दो दलों के बीच में पहुंचे, जो डंडों, लोहे की छड़ों आदि से लैस थे। उन्होंने निर्धारित गोली बारी करके दोनों दलों को अलग-अलग कर दिया। उसके बाद वह थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन पर पत्थरों, सोडा वाटर की बोतलों तथा अन्य प्रक्षेपणास्त्रों से आक्रमण किया गया। पथराव से उनकी छाती, पेट और जांघ में चोटें आईं किन्तु अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उन्होंने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और मटिया महल के पास उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस उपायुक्त की भी सहायता की।

इस कार्रवाई में श्री टी० आर० कक्कड़ और श्री हरी देव ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 सितम्बर, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 18-प्रेज/81—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री आनन्द बिहारी चतुर्वेदी,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

30 जनवरी, 1980 को दिन के लगभग 11.30 बजे गोरखपुर शहर की कलक्टरी के अहाते में दो सनसनीखेज हत्यायें हुईं जिसमें एडवोकेट श्री सुरेश तिवारी और उनके भाई श्री मोहन तिवारी को 15 सशस्त्र आक्रमणकारियों ने दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। आक्रमणकारी श्री मोहन तिवारी की लाइसेंस शुदा राइफल भी ले गये। श्री ए० बी० चतुर्वेदी, जो उस समय पुलिस कार्यालय में कार्य कर रहे थे, ने गोली चलने की आवाज सुनी। उन्होंने दो सशस्त्र व्यक्तियों को घटनास्थल से भागते हुए भी देखा। न्यायालय के अहाते में बहुत ही भय तथा आतंक था। श्री चतुर्वेदी ने अपने पेशी कर्मचारियों में से कुछ पुलिसवाले इकट्ठे किये और अपनी जीप में कचहरी के दक्षिण द्वार की ओर गये। जहां उन्होंने दो सशस्त्र व्यक्तियों को एक जीप में बैठे तथा गोली चलाते हुए और दो कारों के पीछे जाते हुए देखा जिनमें भी सशस्त्र व्यक्ति बैठे थे। यद्यपि श्री चतुर्वेदी एवं उसके कर्मचारी निहत्थे थे फिर भी उन्होंने आक्रमणकारियों का पीछा जारी रखा और जीप को अन्य दो कारों से अलग कर दिया। जीप में बैठे व्यक्ति जीप से उतर गये और एक गली में भागने लगे। श्री चतुर्वेदी जो, सुपली लिबास में थे, अपने जवानों के साथ अपराधियों के पीछे दौड़े। एक अपराधी, जिसके पास एक बी० बी० एल० बन्दूक थी, ने श्री चतुर्वेदी को निशाना बनाया, परन्तु श्री चतुर्वेदी डरे नहीं और उन्होंने पीछा जारी रखा। अचानक अपराधी घूमा और उसने श्री चतुर्वेदी की ओर एक गोली चलाई परन्तु वे अपने आप को बचाने के लिये झुक गये। श्री चतुर्वेदी अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपराधी पर झपटे और एक बांस के डंडे से जो उन्हें पास में मिल गया था, उसको बंदूक पर जोर से मारा। उन्होंने एक कांस्टेबल की सहायता से अपराधी की बंदूक पकड़कर अपराधी को काबू में कर लिया। जीप के ड्राइवर सहित अन्य अपराधियों को भी पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने गिरफ्तार कर लिया।

इस कार्यवाई में श्री आनन्द बिहारी चतुर्वेदी ने उत्कृष्ट वीरता, अद्वितीय साहस एवं अति उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 जनवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 19-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री पी० मासी,
सुरक्षा गार्ड सं० 7739102,
कलकत्ता बन्दरगाह न्यास,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

10 मई, 1980 को सुरक्षा गार्ड श्री पी० मासी ने अपने गश्त के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह के शैड में एक बदमाश को देखा। उन्होंने बदमाश का पीछा किया, खतरे का संकेत देने के लिये सीटी बजाई। जब वे चारदीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने दीवार के पास और 8-10 बदमाशों को देखा जो छूरे और अन्य घातक हथियारों से लैस थे। उन्होंने श्री मासी को धमकी दी कि यदि वे उनके पास आयेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और श्री मासी पर पत्थर तथा ईंटें फेंकी। भारी पथराव के बावजूद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री मासी ने बदमाशों पर धावा बोल दिया और उनसे हाथापाई की। उन्होंने एक बदमाश को पकड़ भी लिया। परन्तु अंधेरे की आड़ में दो बदमाशों ने श्री मासी के पेट और सिर में चाकू घोंप दिया। जख्मी करने के बाद बदमाश चारदीवारी से बचकर भाग गये। श्री मासी को, जिनका खून बह रहा था, उनके साथी द्वारा अस्पताल ले जाया गया।

इस कार्रवाई में श्री पी० मासी ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मई, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 20-प्रेज/81—राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मरेल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी,
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो,
कृष्णा जिला,
विजयवाड़ा,
आंध्र प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

6 जनवरी, 1980 को जब श्री मरेल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी पुलिस निरीक्षक चुनाव ड्यूटी के निष्पादन में घूम रहे थे, तो लगभग 12.00 बजे उन्हें सूचना मिली कि वूय्यूर में जिला परिषद् हाई स्कूल मतदान केन्द्र पर दो राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच तनाव बना रहा है। श्री रेड्डी पुलिस की एक टुकड़ी के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को चतुरता से काबू में कर लिया। अपराह्न लगभग 4.15 बजे रेडियो समाचार सुनकर एक राजनैतिक दल के समर्थकों ने अपने दल के उम्मीदवारों के चुनाव के बारे में विजय के नारे लगाये। उन्होंने स्थानीय विधायक को भी अपशब्द कहे जिस पर विधायक के समर्थकों ने आपत्ति की। इसके परिणामस्वरूप दोनों दलों के समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों दलों के समर्थकों ने गन्ने की खाली गाड़ियों के काफले से, जो सड़क पर जा रहा था, खूंटे खींच लिये और एक दूसरे की ओर बढ़े। श्री रेड्डी एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें एक उप-निरीक्षक और ए० पी० एस० पी० की एक टुकड़ी थी, के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और संघर्ष को रोकने के लिये स्वयं लड़ने वाले दोनों वर्गों के बीच में जा पहुंचे। दोनों राजनैतिक दलों के समर्थकों में से कुछ ने एक दूसरे पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों ओर के तीन-तीन व्यक्ति घायल हो गए। दोनों दलों ने भारी पथराव किया। पुलिस दल का जीवन खतरे में था। श्री रेड्डी ने लाठी चार्ज का आदेश दिया परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर भी श्री रेड्डी विचलित नहीं हुए और उन्होंने दोनों विरोधी दलों के बीच हस्तक्षेप किया। उनके दायें बाजू में चोट आई। भीड़ को डराने के लिये श्री रेड्डी ने पांच राउण्ड गोलियां हवा में चलाने का आदेश दिया। इसका भीड़ पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और भीड़ तितर-बितर हो गई।

इस कार्रवाई में श्री मरेल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस, सूझबूझ एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1980

सं० 21-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कुमार संजय चोपड़ा (मरणोपरान्त)

2. कुमारी गीता चोपड़ा (मरणोपरान्त)
145, सर्विस आफिसर्स इन्क्लेव,
धौला कुआं, नई दिल्ली।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 26 अगस्त, 1978)

26 अगस्त, 1978 को कुमारी गीता चोपड़ा को आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सांय 7 बजे आकाशवाणी भवन पहुंचना था। वह अपने भाई कुमार संजय चोपड़ा को साथ लेकर करीब 6-15 बजे सांय धौला कुआं के पास अपने घर से चलीं। ये दोनों सरदार पटेल मार्ग के चौराहे के निकट खड़े हो गए और उन्होंने वहां से सरदार पटेल मार्ग की ओर जाती हुई कारों में लिफ्ट मांगी। एक डाक्टर ने, जो अपनी कार से कनाट प्लेस स्थित अपने क्लीनिक को जा रहा था, उन्हें अपनी कार में बिठाया और गोल डाकखाना के निकट उन्हें उतार दिया। आकाशवाणी भवन जाने के लिए वे जब गोल डाकखाना के पास खड़े हुए तो वहां से बिल्ला और रंगा नामक दो अपराधियों ने उनका अपहरण किया और अपनी कार में बिठाकर उन्हें बुद्ध जयंती पार्क की ओर ले गए। इन अपराधियों के चंगुल से बच निकलने के लिए इन दोनों बच्चों ने कार में उनसे बहादुरी से संघर्ष किया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने बिल्ला के माथे पर वार कर दिए। उसके बाद इन अपराधियों ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की हत्या कर दी और उनके शव अपर रिज रोड़ के एक ओर फैंक दिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक दोनों युवा बच्चों ने साहस एवं बहादुरी से संघर्ष करते हुए मृत्यु का वरण किया।

इस प्रकार कुमार संजय चोपड़ा और कुमारी गीता चोपड़ा ने अनुकरणीय साहस और उच्च स्तर के दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

दिनांक 26 जनवरी 1981

सं० 22-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी अति असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "परम विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

(1) लेफ्टिनेन्ट जनरल आदि मेहरजी सेठना (आई० सी० 522) ए० वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री।

(2) वाइस एडमिरल मेलविल रेमंड शुंकर, ए० वी० एस० एम० (00034-ए)।

(3) वाईस एडमिरल ओस्कर स्टैनले डासन, ए० वी० एस० एम० (00035-बी०)।

(4) एयर मार्शल सरोज जेना, ए० वी० एस० एम०, बी० एम० (3157) उड़ान (पायलट)।

(5) लेफ्टिनेन्ट जनरल हरीश चन्द्र दत्त (आई० सी० 2266) इन्फैन्ट्री।

(6) लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरिन्द्र नाथ शर्मा (आई० सी० 1475), ए० वी० एस० एम० इंजीनियर्स।

(7) लेफ्टिनेन्ट जनरल तीर्थ सिंह ओबेराय (आई० सी० 1591), वीर चक्र, इन्फैन्ट्री।

(8) लेफ्टिनेन्ट जनरल अमर सिंह (आई० सी० 2905) ए० वी० एस० एम०, ए० एस० सी०।

(9) एयर मार्शल हेमन्त रामकृष्ण चिटनिस, ए० वी० एस० एम०, वी० एम० (2964) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)

(10) एयर मार्शल त्रिलोचन सिंह बरार, ए० वी० एस० एम० (2884) उड़ान (पायलट)।

(11) मेजर जनरल सोम नाथ भास्कर (आई० सी० 4239) ई० एम० ई० (सेवानिवृत्त)।

(12) मेजर जनरल बलजीत कुमार मेहता (आई० सी० 5445), ए० वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री।

(13) मेजर जनरल समीर चन्द्र सिन्हा (आई० सी० 1813) इन्फैन्ट्री।

(14) मेजर जनरल (कुमारी) पुल्लोद कुलथिन्गल लक्ष्मीकुट्टी (एम० आर० 680954) एम० एन० एस०।

(15) मेजर जनरल प्रीतम राज पुरी (आई० सी० 2261) इंजीनियर्स।

(16) मेजर जनरल राम चन्द्र विनायक आपटे (आई० सी० 1909) ए० वी० एस० एम०, आर्टिलरी (सेवानिवृत्त)।

(17) एयर वाइस मार्शल मुल्कराज, ए० वी० एस० एम० (3518) चिकित्सा।

सं० 23-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "अति विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

(1) मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह रावत (आई० सी० 5316), इन्फैन्ट्री।

(2) मेजर जनरल शिकारपुर नाडिगा मनोहर (आई० सी० 2344), ई० एम० ई०।

(3) मेजर जनरल आदि गुस्तादजी मिनवल्ला (आई० सी० 7232), इन्फैन्ट्री।

(4) एयर वाइस मार्शल मंगलवेडकर जिवनराव विट्ठल (3791), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)।

(5) एयर वाइस मार्शल विमान कांत मुखर्जी (3823), वैमानिक इंजीनियर (यांत्रिक)।

(6) ब्रिगेडियर कुंवर देवेन्द्र सिंह कटोच (आई० सी० 2370), इन्फैन्ट्री।

(7) ब्रिगेडियर त्रिपत सिंह (आई० सी० 5892), ई० एम० ई०।

(8) ब्रिगेडियर सुन्दर लाल धवन (आई० सी० 4489), आर्टिलरी।

(9) ब्रिगेडियर सुब्रमनियम कृष्णामूर्ति (आई० सी० 2294) आर्मर्ड कोर।

(10) ब्रिगेडियर धर्मराज थम्मू (आई० सी० 2416), इन्फैन्ट्री।

(11) ब्रिगेडियर रतन सबापती सोम सुन्दरम (आई० सी० 5150), इंजीनियर्स।

(12) ब्रिगेडियर महावीर सिंह (आई० सी० 5661) वी० एम० एम०, इन्फैन्ट्री।

(13) ब्रिगेडियर फ्रान्सिस टिबर्टियस डायस (आई० सी० 7044), वीर चक्र, इन्फैन्ट्री।

(14) ब्रिगेडियर महेन्द्र सिंह गुसांई (आई० सी० 6610), बी० एस० एम०, इंजीनियर्स।

(15) ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह (आई० सी० 7155), आर्टिलरी।

(16) ब्रिगेडियर गोरख नाथ (आई० सी० 6529), ए० एस० सी०।

(17) ब्रिगेडियर तिलक राज मलहोत्रा (आई० सी० 1576), इन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)।

(18) ब्रिगेडियर मारयूर कुमारन् मेनन (आई० सी० 4478) इन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)

(19) कमोडोर हरी मोहन लाल सक्सेना, एम० एम० (00093-के)

(20) कमोडोर नरेन्द्र नाथ प्रानन्द (00195-टी) एन० एम०

(21) सर्जन कमोडोर जय कृष्ण सचदेवा (75031-जेड)

(22) कमोडोर चमन लाल सचदेवा (00077-जेड) (सेवानिवृत्त)

(23) एयर कमोडोर राम लाल भल्ला (3679) प्रशासनिक

(24) एयर कमोडोर मदन लाल सेठी (4009) उड़ान (नेविगेटर)

(25) एयर कमोडोर डैनिस एडवर्ड सतुर, वी० एम० (4339) उड़ान (पायलट)

(26) एयर कमोडोर दिलिप शंकर जोग, वी० एम० (4608) उड़ान (पायलट)

(27) कर्नल जसविन्दर सिंह (आई० सी० 4559), पायनियर्स

(28) कर्नल रवि कुमार नन्दा (आई० सी० 5850), आर्टिलरी

(29) कर्नल सुर्जन सिंह शेखावत (आई० सी० 6177), इन्फैन्ट्री

(30) कर्नल राज कुमार वर्मा, (आई० सी० 7456), आर्टिलरी

(31) कर्नल विरेन्द्र सिंह बाजवा (आई० सी० 7910), इन्फैन्ट्री

(32) कर्नल वीर करण चावला (आई० सी० 7611), आर्टिलरी

(33) कर्नल विलियम हेक्टर ग्रान्ट (आई० सी० 4193), इन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)

(34) कर्नल राज राज चटर्जी (आई० सी० 3978), सिगनल्स (सेवानिवृत्त)

(35) ग्रुप कैप्टन मुकुन्द चटर्जी (4530) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

(36) ग्रुप कैप्टन अन्नास्वामी श्रीधरन, वी० एम० (4761) उड़ान (पायलट)

सं० 24-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उसकी असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "अति विशिष्ट सेवा मैडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

(1) ब्रिगेडियर विक्रम सिंह कंवर (आई० सी० 5973), ए० वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री

सं० 25-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी उच्च-कोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट सेवा मैडल" सहर्ष प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

(1) ब्रिगेडियर ओम प्रकाश जोनेजा (डी० आर० 10051), आर्मी डेन्टल कोर

(2) ब्रिगेडियर प्रताप सिंह कपूर (आई० सी० 7906), आर्टिलरी

(3) ब्रिगेडियर राजेन्द्र पाल सिंह (आई० सी० 8114), इन्फैन्ट्री

(4) कर्नल लखेश्वर सिंह बारिया (आई० सी० 4619) ए० एस० सी०

(5) कर्नल जगदीश चन्द्र बाली (एम० आर० 1133), ए० एम० सी० (सेवानिवृत्त)

(6) ग्रुप कैप्टन वलीप कुमार खगनलोबीस (5432), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

(7) लेफ्टिनेन्ट कर्नल जसबिन्दर बीर सिंह (आई० सी० 11552), आर्मर्ड कोर

(8) लेफ्टिनेन्ट कर्नल जगदीश चन्दर नारंग (आई० सी० 12340) आर्मर्ड कोर

(9) लेफ्टिनेन्ट कर्नल साम नरीमान गिनवाला (आई० सी० 6815), आर्टिलरी

(10) लेफ्टिनेन्ट कर्नल (स्थानीय/कर्नल) सतीश कुमार सक्सेना (आई० सी० 9852), आर्टिलरी (सेवा निवृत्त)

(11) लेफ्टिनेन्ट कर्नल विनिन्दर सिंह चीमा (आई० सी० 11688), इंजीनियर्स

(12) लेफ्टिनेन्ट कर्नल रघु नन्दन (आई० सी० 14296), इंजीनियर्स

(13) लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रलय शंकर चौधरी (टी० ए० 40445), इंजीनियर्स (सेवानिवृत्त)

(14) लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुभाष चिन्तामन नागरकर (आई० सी० 12091), 1 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)

(15) लेफ्टिनेन्ट कर्नल राजेश कोछड़ (आई० सी० 12572), सिक्ख

(16) लेफ्टिनेन्ट कर्नल तेजपाल सिंह रावत (आई० सी० 12836), 4 गोरखा राइफल्स

(17) लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुलदीप सिंह (आई० सी० 13975), 3 गोरखा राइफल्स

(18) लेफ्टिनेन्ट कर्नल तपन राय (आई० सी० 13988), 4 गोरखा राइफल्स

(19) लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुधीन्द्र नाथ घोष (आई० सी० 8152), ए० ओ० सी०

(20) लेफ्टिनेन्ट कर्नल शभव्रत दत्त (आई० सी० 7635), ई० एम० ई०

(21) लेफ्टिनेन्ट कर्नल ओम प्रकाश चौधरी (आई० सी० 11742), ए० ई० सी०

(22) लेफ्टिनेन्ट कर्नल बलदेव कृष्णभंडारी (आई० सी० 7465) इन्टेलीजेंस कोर

(23) कमांडर सुरेन्द्र कुमार शर्मा (60026 वाई०), आई० एम०

(24) कमांडर जयचन्द्रन सबैया (40173-ए), आई० एम

(25) कार्यवाहक कमांडर अशोक नन्दन जेठी (40226 वाई०), आई० एन०

(26) कार्यवाहक कमांडर ओम प्रकाश बंसल (00660 जेड), आई० एन०

(27) विंग कमांडर भालचन्द्र गणेश चिटनिस (5171) परिचारिकी

(28) विंग कमांडर, कमला प्रसाद शर्मा (5939) वैमानिक इंजीनियर (यांत्रिक)

(29) विंग कमांडर श्याम राव (6200), लेखा

(30) विंग कमांडर नानक चन्द कौशल (6252), वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रिकल)

(31) विंग कमांडर कपिल काक (6784), उड़ान (नेवीगेटर)

(32) विंग कमांडर कल्याणरामन बद्रीनारायणन् (6826) वैमनिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

(33) श्री चन्दर प्रताप सिंह, कमांडेंट, 48 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०

(34) मेजर नरेश कुमार एबट (आई० सी० 14813), 4 गोरखा राइफल्स

(35) मेजर शेरिंग स्टोबदान (आई० सी० 17479), जाक राइफल्स

(36) मेजर जसवन्त सिंह चंदेल (आई० सी० 23299), जाक राइफल्स

(37) मेजर श्रीधर प्रसाद शर्मा (आई० सी० 26152), इंजीनियर्स

(38) मेजर रक्षपाल कृष्ण वासुदेव (आई० सी० 28313), मद्रास

(39) मेजर भुजंग शेरिंग भुटिया (आई० सी० 31320), 8 गोरखा राइफल्स

(40) मेजर हरभजनसिंह दियोल (आई० सी० 18231), ई० एम० ई०

(41) मेजर चन्द्र शेखर टाक (एम० एस० 9788) ए० एम० सी०

(42) लेफ्टिनेन्ट कमांडर (एस० डी० बी०) राम प्रकाश (83172 ए०)

(43) स्क्वाड्रन लीडर सत्य पाल भसीन (7083), वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रिकल)

(44) स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ दास (7896), वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रिकल)

(45) स्क्वाड्रन लीडर शमीर चौधरी (8416) उड़ान, (पायलट)

(46) स्क्वाड्रन लीडर प्रभु सिंह (9985), प्रशासनिक

(47) श्री नरबु शेरपा, डिप्टी कमांडेंट, असम राइफल्स

(48) कैप्टन हरचरण सिंह (आई० सी० 33683), ए० एस० सी०

(49) जे० सी० 40012 सूबेदार मेजर तिरुवुरु सिम्माचलम्, ई० एम० ई०

(50) जे० सी० 45388 सूबेदार मेजर छवि लाल राय, एस० एम०, 4 असम राइफल्स

(51) 205057 मास्टर वारंट अफसर ब्रह्मदेसम वेंटारमन वैंकटचलम, एयर फील्ड सेफ्टी ओपरेटर

(52) जे० सी० 65156 सूबेदार धर्म सिंह, जाट

(53) जे० सी० 71194 नायब सूबेदार कृष्ण सिंह छेत्री, 7 असम राइफल्स

(54) 234436 सार्जेंट मुथुकृष्ण चैटियार सिवाज्ञानम, एयर फ्रेम फिटर

(55) चिदानन्द सिंह मैकेनिक्स्म (ए० आर०) III (090219 डब्ल्यू०), आई० एन०

सं० 26-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. जी 105386 पाइनियर राम अहीर
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 जुलाई, 1979)

मूसलाधार वर्षा के कारण 1 जुलाई और 3 जुलाई, 1979 के बीच काफी ज्यादा भूस्खलन हुआ जिससे टेंगा-बोमडीला क्षेत्र में 66 कि० मी० सड़क पर यातायात ठप्प हो गया। सड़क को यातायात के योग्य बनाने के लिए उसे साफ करना बहुत जरूरी था। लेकिन इस इलाके में काम कर रहे सीमा सुरक्षा के कार्यदल के पास उस समय कोई डोजर आपरेटर नहीं था। संकट की इस घड़ी में 1581 पाइनियर कम्पनी (जी० आर० ई० एफ०) के पाइनियर राम अहीर इस काम को करने के लिए आगे आए और सड़क साफ करने का यह खतरनाक काम संभाल लिया। काम बहुत ज्यादा था पर ये घबराए नहीं और सड़क पर से मिट्टी और मलबा हटाते रहे। इस बीच कई ऐसे मौके आए जब इनका डोजर ऊपर से गिरने वाले बड़े-बड़े पत्थरों से भी टकराया और ये बाल-बाल बचे। इन सब खतरों की परवाह किए बिना ये डोजर चलाते रहे और 7 जुलाई, 1979 तक इन्होंने सड़क को साफ कर यातायात के योग्य बना दिया।

इस कार्रवाई में पाइनियर राम अहीर ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और बहुत उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. 5240 ग्राम चौकीदार हवलदार पुखु खैमनुंगन,
कैजौंग ग्राम रक्षक चौकी,
जिला तुएनसांग,
नागालैंड।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 मई, 1980)

13 मई, 1980 को दिन के लगभग 12.30 बजे लगभग सभी ग्रामवासी अपने-अपने खेतों में जा चुके थे, और कैजौंग गांव में 5 ग्राम रक्षक ही रह गए थे तब स्वचालित हथियारों से लैस लगभग 300 भूमिगत विरोधियों ने लगभग 100 कुलियों के साथ गांव में प्रवेश किया। विरोधियों का शोर-गुल सुन कर ग्राम चौकीदार हवलदार पुखु खैमनुंगन, जो परिवार के साथ अपने घर पर थे, अपनी भरी हुई राइफल लेकर बाहर आए और देखा कि सशस्त्र विरोधियों ने गांव को घेरा हुआ है। अपने सामने आते कुछ विरोधियों को देखकर घबराए बिना इन्होंने अपनी राइफल से गोलियां चलानी शुरू कर दीं और कुछ विरोधियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पर विरोधियों ने भी इन पर गोली चलाई और ये गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। इस मुठभेड़ में विरोधी इनकी राइफल ले गए, घटनास्थल पर ही इनकी दो पुत्रियों को मार गए और इनकी पत्नी को भी घायल कर दिया।

इस कार्रवाई में ग्राम रक्षक हवलदार पुखु खैमनुंगन ने बड़े साहस, दृढ़ता तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

3. 7169 ग्राम रक्षक त्सांगु खेमनुंगन, (मरणोपरान्त)
कैजोंग ग्राम रक्षक चौकी,
जिला तुएनसांग,
नागालैंड।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 मई, 1980)

13 मई, 1980 को दिन के लगभग 12.30 बजे कैजोंग गांव के लगभग सभी ग्राम वासी अपने-अपने खेतों में जा चुके थे और गांव में पांच ग्राम रक्षक ही रह गए थे, तो स्वचालित शस्त्रों से लैस लगभग 300 विरोधियों ने लगभग 100 कुलियों के साथ गांव में प्रवेश किया। इन विरोधियों का शोर-गुल सुनकर ग्राम रक्षक त्सांगु खेमनुंगन अपनी भरी हुई राइफल के साथ बाहर आए और विरोधियों की भारी संख्या से भयभीत हुए बिना उन पर गोली चलाकर एक को मार गिराया। इस मुठभेड़ के बाद उनके सीने में एक गोली लग गई, जिससे घटना स्थल पर ही उनका निधन हो गया।

इस प्रकार ग्राम रक्षक त्सांगु खेमनुंगन ने असाधारण साहस, दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

4. 13729380 राइफलमैन परषोतम दास, (मरणोपरान्त)
जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 5 जून 1980)

एक इन्फैन्ट्री बटालियन के इलाके में 5 जून, 1980 को जम्मू तथा कश्मीर में नयुमा तिब्बा में आग लग गई थी जो काबू से बाहर हो रही थी और बटालियन के पावर जेनेरेटर तथा डीजल बैरल की ओर बढ़ रही थी। आग बुझाने और डीजल बैरल और पावर जैनरेटर तक उसे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ सैनिक तैनात किए गए थे, जिनमें राइफलमैन परषोत्तम दास भी शामिल थे।

इन्होंने फायर बीटर से आग बुझाना शुरू किया किन्तु पूरी कोशिशों के बावजूद आग शीघ्र ही जेनेरेटर से कुछ ही गज दूर के क्षेत्र में फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन परषोत्तम दास अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, कुछ गज आगे दौड़ कर अकेले ही आग को बुझाने लगे। वर्दी में आग लग जाने के बावजूद, पूरे जोरों से वे आग बुझाते रहे और उसे पावर जेनेरेटर तथा डीजल बैरलों तक बढ़ने से रोक दिया। इसमें बुरी तरह जल जाने के कारण वे घायल हो गए और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस कार्रवाई में, राइफलमैन परषोत्तम दास ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ता तथा बहुत उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5. फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अनिल कुमार माथुर (13591), फ्लाइंग (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 नवम्बर, 1980)

25 नवम्बर, 1980 को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अनिल कुमार माथुर को मारुत विमान की परीक्षण उड़ान भरने के लिए कहा गया। आकाश में उड़ते समय इन्होंने अनुभव किया कि विमान दाईं ओर बहुत अधिक झुक रहा है। इन्होंने उसे सीधा करने की कोशिश की लेकिन विमान अपनी संतुलित स्थिति में नहीं आया। इसी बीच उन्हें मालूम हुआ कि दाएं इंजन का तापमान काफी गिर गया है और बाद में इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसके साथ-साथ विमान के पिछले भाग की सेटिंग भी गड़बड़ हो गई।

इन्होंने विमान को तत्काल नीचे उतारने का निश्चय किया। लेकिन तभी यह देखने में आया कि हाइड्रालिक प्रणाली पूरी तरह बंद हो गई है जिससे उड़ान नियंत्रण प्रणाली तथा अन्य प्रणालियां भी बंद हो गई हैं। अंडर-कैरेज को नीचा करने पर उड़ान का स्तर बनाए रखने में उन्हें बड़ी कठिनाई महसूस हुई क्योंकि ट्रिमर्स काम नहीं कर रहे थे। विमान को नीचे उतारने के लिए फ्लैप नीचे करने के वास्ते विमान को नियंत्रण में रखने में इन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी। इन सभी बाधाओं का सामना करते हुए और जीवन की बाजी लगाकर इन्होंने विमान से न कूदने का फैसला किया। बाद में इन्होंने विमान सुरक्षित नीचे उतार दिया और उसमें आई खराबियों का पता लगाने के लिए उसे उपलब्ध किया।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अनिल कुमार माथुर ने असाधारण साहस, सूझ-बूझ और उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

बी० के० वर, राष्ट्रपति का सचिव।

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1981

संकल्प

सं० 9-18/80/80-सी० ए०-1—नारियल विकास बोर्ड की स्थापना नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत 12 जनवरी, 1981 से की गई है। यह बोर्ड नारियल उद्योग के समेकित विकास के सभी पहलुओं (जिसमें इसका उत्पादन, परिसंस्करण तथा विपणन भी शामिल है) के लिए जिम्मेवार होगा। बोर्ड की स्थापना होने से भारत सरकार ने अपने 28 नवम्बर, 1977 के संकल्प सं० 48012/4/79-सी० ए०-1 के जरिए पुनर्गठित भारतीय नारियल विकास परिषद को इस संकल्प के अनुच्छेद 5 की शर्तों के अनुसार 21 जनवरी, 1981 से समाप्त करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल, सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० पी० सिंह, उप सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1981

संकल्प

सं० ई० आर० बी०/1/80/21/72—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 10-2-1981 के संकल्प संख्या ई० आर० बी० 1-80/21/72 के क्रम में, भारत सरकार ने निम्नलिखित को भी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

श्री राजा राम मुसदी,
1-ए0 बर्मन स्ट्रीट,
कलकत्ता-700007

दिनांक 13 मार्च 1981

शुद्धि-पत्र

विषय : कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति।

सं० ई० आर० बी०-1/80/21/72—रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये 10-2-1981 के संकल्प सं० ई० आर० बी०-1/80/21/72 के पैरा 2 की मद सं० 12 को इस प्रकार पढ़ा जाये :—

'श्री एस० आर० वेंकटेशम, भूतपूर्व महापौर, हैदराबाद।'

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th March 1981

No. 16-Presi/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and ranks of the Officers

Shri Arjun Vishnu Chindhe
Unarmed Head Constable,
B.No. 1965
Central Railway Police Station Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Pandurang Daghu Gadekar,
Unarmed Police Constable,
B. No. 2551,
Central Railway Police Station Bombay,
MAHARASHTRA.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 8th July, 1980 at about 07.30 hours, while the plain clothes staff of the Bombay Central Railway Police Station was keeping vigil on suspicious strangers and bad characters at the Railway Station, a Police Constable who suspected the movements of a passenger accosted the stranger and searched his bag. He found a Rampuri knife wrapped in a towel. The Police Constable shouted for help from his associates. In the meantime the stranger dropped the bag and ran towards the S.T. Bus Stand premises which is situated just opposite to the Bombay Central Railway Station. Shri Arjun Vishnu Chindhe and Shri Pandurang Dagdu Gadekar who were also on duty at the Railway Station chased and apprehended the stranger named Dilshad Inayatkhan Pathan. However, the Security Guard of the S.T. Depot intervened and questioned the identity of the two Policemen. While Shri Gadekar was showing his identity card the stranger managed to free himself from their grip and took out a loaded Automatic Pistol from his trouser pocket and fired four rounds in the air in order to frighten the Policemen. Undeterred, Shri Chindhe grappled with the accused who aimed the pistol at him and held him till Shri Gadekar came to his help and caught hold of the hand of the stranger. In the scuffle Shri Pandurag Dagdu Gadekar received a bullet injury in his thigh. Shri Chindhe forcibly snatched the pistol from the hand of the accused and disarmed him.

In this action Shri Arjun Vishun Chindhe and Shri Pandurang Dagdu Gadekar exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th July, 1980.

No. 17-Pres/81.—The president is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :—

Names and ranks of the Officers

Shri T.R. Kakkar,
Deputy Commissioner of Police/Central
Delhi.

Shri Hari Dev,
Assistant Commissioner of Police
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 14th September, 1979 serious riots broke out in the walled city of Delhi. On receipt of information Shri T.R. Kakkar Deputy Commissioner of Police, rushed to the place of incident with his office sentry's rifle. On reaching the place of incident he was impeded by angry mobs. He tried to reason out with the people but it did not have any effect. He was attacked and hit by sticks by the infuriated mob. Street lights had been cut off and the entire area was in complete darkness. The rioters had placed road blocks making it impossible for the Police to advance. There was considerable chaos all around. Bricks, stones and incendieries were being pelted incossently. Shri Kakkar was hit in the face and his nose started bleeding profresely, he was physically lifted by the rioters and thrown on the ground. Attempts were also made to snatch away his rifle. In disregard of risk to his life Shri Kakkar fired a few calculated shots with his rifle and dispersed the crowd.

On receiving the information about the incident Shri Hari Dev Assistant Commissioner of Polece also rushed to the area and approached Jama Masjid *via* Chowk Hathi Khana and Paiwalan. He placed himself between the two warring communal groups who were armed with sticks, iron rod, etc. and by opening controlled fire he disengaged the two groups. Thereafter he proceeded a little further but was attacked with barrage of stones, soda water bottles and other missiles. He suffered injuries on his chest, abdomen and on his thigh by brickbats but in disregard of the injuries he dispursed the mob and also helped the Deputy Commissioner of Police in dispersing the riotous mob near Matia Mahal.

In this action Shri T.R. Kakkar and Shri Hari Dev exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th September, 1979.

No. 18-Pres/81.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and rank of the Officer

Shri Anand Behari Chaturvedi,
Additional Superintendent of Police,
Gorakhpur,
UTTAR PRADESH.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 30th January, 1980 at about 11.30 A.M. a sensational double murder was committed in the Collectorate compound of Gorakhpur city in which Shri Suresh Tiwari advocate and his brother Shri Mohan Tiwari were shot dead by 15 armed assailants in broad day light. The Assailants also took away the licensed rifle of Shri Mohan Tiwari. Shri A. B. Chaturvedi who at that time happened to be working in the Police Office heard the sounds of gun fire. He also saw two armed persons running away from the scene of occurrence. There was great panic and terror in the court premises. Shri Chaturvedi collected a few Policemen from his peshi staff and drove in his jeep towards the southern exit of the Kutchehry, where he saw armed persons firing and boarding a jeep and driving away behind two cars which were also occupied by armed persons. Though Shri Chaturvedi and his staff were unarmed, they gave a hot chase to the assailants and managed to isolate the jeep from the other two cars. The occupants of the jeep got down and started running in a street. Shri Chaturvedi who was attired in mufti ran after the culprits alongwith his men. One of the culprits who had a DBBL gun took aim at Shri Chaturvedi but Shri Chaturvedi remained undeterred and continued the chase. The culprit suddenly turned round and fired one shot towards Shri Chaturvedi but he ducked to save himself. Shri Chaturvedi then in disregard of his personal safety flung himself at the assailant and struck hard at his gun with a bamboo piece that he had found nearby. He also caught hold of the assailant's gun with the help of a Constable and overpowered the assailant. Other culprits including the driver of the jeep were also arrested by the other members of the Police party.

In this action Shri Anand Behari Chaturvedi exhibited conspicuous gallantry, exceptional courages and sense of duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th January, 1980.

No. 19-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and rank of the Officer

Shri P. Masi,
Security Guard No. 7739102,
Calcutta Port Trust,
Central Industrial Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th May, 1980, Security Guard Shri P. Masi during his round noticed a miscreant in the shed of Calcutta Port Trust. He chased the miscreant and raised an alarm by blowing the whistle. When he reached the perimeter wall, he saw 8 to 10 more miscreants gathered near the wall who were armed with daggers and other lethal weapons. They threatened Shri Masi with dire consequences in case he approached them and also started throwing stones and brickbats at him. In disregard of his personal safety and in the face of heavy brick-bats Shri Masi charged the miscreants and grappled with them. He apprehended one of the miscreants. However, under the cover of darkness two miscreants stabbed him in the abdomen and on his head. After inflicting injuries the miscreants escaped through the perimeter wall. Shri Masi who was bleeding profusely was helped by his colleague and taken to hospital.

In this action Shri P. Masi exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th May, 1980.

No. 20-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Marella Venkateswara Reddy,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Bureau,
Krishna District,
Vijayawada,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th January, 1980, while on election duty Shri Marella Venkateswara Reddy, Inspector of Police, received information at 12 noon that tension was mounting near Zilla Parishad High School Polling Centre in Vuyyur between the supporters of two political parties. Shri Reddy rushed to the spot with one section of striking force and tactfully brought the situation under control. At about 4-15 p.m. on hearing the news about the election of the candidates belonging to their party the supporters of a political party raised victory slogans. They also abused the local sitting MLA. This was objected to by the followers of the MLA. This led to a clash between the supporters of the two political parties. The supporters of both the parties seized cart pegs from a convoy of empty sugar-cane carts which were going on the road proceeded towards each other. Shri Reddy with a meagre force of one sub-Inspector and one section of the A.P.S.P. rushed to the place of incident and placed himself between the two warring groups in order to prevent them from coming to a clash. Some among the supporters of the two political parties attacked each other as a result of which three persons on each side received injuries. Both the parties resorted to

heavy stone throwing. The lives of the Police party were at stake. Shri Reddy ordered lathi charge but it proved ineffective. Shri Reddy, however, remained undeterred and intervened between the two rival groups and received an injury on his right fore-arm. To scare the mob he ordered to fire five rounds into the air and this had the effect on the mob which dispersed.

In this action Shri Marella Venkateswara Reddy exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage, presence of mind and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 6th January, 1980.

S. NILAKANTAN,
Deputy Secretary to the President.

New Delhi, the 21st May 1980

No. 21-Pres/81.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for acts of conspicuous gallantry to :—

1. Master Sanjay Chopra (Posthumous)
2. Kumari Geeta Chopra (Posthumous)
   145, Services Officers Enclave,
   Dhaula Kuan, New Delhi.

(*Effective date of the award* : *26th August*, 1978)

On the 26th August, 1978, Kumari Geeta Chopra was expected to reach A.I.R. Station by 7 p.m. for a programme. Accompanied by her brother, Master Sanjay Chopra, she left her residence at Dhaula Kuan at about 6.15 p.m. and came to stand near the junction of the road leading to Sardar Patel Marg. From there they sought to get a lift by raising their hands to cars which were going towards Sardar Patel Marg. A doctor, who was going to his clinic in Connaught Place, gave them a lift in his car and dropped them near Gole Dak-Khana. While waiting at the Gole Dak-Khana, on their way to the All India Radio Station, two criminals, Billa and Ranga, kidnapped them in their car and took them towards the Buddha Jayanti Park. While in their car, the children fought valiantly to escape from the clutches of the criminals and, although severely injured, they inflicted injuries on the forehead of Billa. Subsequently, the criminals murdered both Geeta Chopra and Sanjoy Chopra and threw their bodies on the upper Ridge Road. Death was the price the youthful children had to pay for their courage and valiant struggle till the very last.

Master Sanjay Chopra and Kumari Geeta Chopra thus displayed exemplary courage and determination of a high order.

The 26th January 1981

No. 22-Pres./81.—The President is pleased to approve the award of the 'Param Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :

1. Lt. Gen. Adi Meherji Sethna (IC 522), AVSM, Infantry.
2. Vice Admiral Melville Raymond Schunker, AVSM (00034-A).
3. Vice Admiral Oscar Stanley Dawson, AVSM (000358).
4. Air Marshal Saroj Jena, AVSM, VM (3157) F(P).
5. Lt. Gen. Harish Chandra Dutta (IC 2266), Infantry.
6. Lt. Gen. Surinder Nath Sharma (IC 1475), AVSM, Engineers.
7. Lt. Gen. Tirath Singh Oberoi (IC 1591), Vr. C., Infantry.
8. Lt. Gen. Amar Singh (IC 2905), AVSM, ASC.
9. Air Marshal Hemant Ramkrishna Chitnis, AVSM, VM (2964), F(P) (Retd.)
10. Air Marshal Trilochan Singh Brar, AVSM (2884) F(P).
11. Maj. Gen. Som Nath Bhaskar (IC 4239), EME (Retd).
12. Maj. Gen. Baljit Kumar Mehta (IC 5445), AVSM, Infantry.
13. Maj. Gen. Samir Chandra Sinha (IC 1813), Infantry.
14. Maj. Gen. (Miss) Pullode Kulathingal Lakshmikutty, (NR 680954), MNS.
15. Maj. Gen. Prikshat Raj Puri (IC 2261), Engineers.
16. Maj. Gen. Ram Chandra Vinayak Apte (IC 1909), AVSM, Artillery (Retd.)
17. Air Vice Marshal Mulk Raj, AVSM (3518) (Medical).

No. 23-Pres./81.—The President is pleased to approve the award of the 'Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :

1. Maj. Gen. Lakshman Singh Rawat (IC 5316), Infantry.
2. Maj. Gen. Shikarpur Nadiga Manohar (IC 2344), EME.
3. Maj. Gen. Adi Gustadji Minwalla (IC 7232), Infantry.
4. Air Vice Marshal Mangalvedkar Jivanrao Vittal (3791), AE (M).
5. Air Vice Marshal Biman Kantha Mukherjee (3823), AE(M).
6. Brig. Kunwar Devendra Singh Katoch (IC 2370), Infantry.
7. Brig. Tripat Singh (IC 5892), EME.
8. Brig. Sunder Lal Dhawan (IC 4489), Artillery.
9. Brig. Subramaniam Krishnamurthy (IC 2294), Armoured Corps.
10. Brig. Dharmaraj Thamboo (IC 2416), Infantry.
11. Brig. Rathan Sabapathy Soma Sundaram (IC 5150), Engineers.
12. Brig. Mahavir Singh (IC 5661), VSM, Infantry.
13. Brig. Francis Tiburtius Dias (IC 7044), Vr. C., Infantry.
14. Brig. Mahendra Singh Gosain, (IC 6610), VSM, Engineers.
15. Brig. Rajindar Singh (IC 7155), Artillery.
16. Brig. Gorakh Nath (IC 6529), ASC.
17. Brig. Tilak Raj Malhotra (IC 1576), Infantry (Retd.)
18. Brig. Maruthur Kumaran Menon (IC 4478), Infantry (Retd.).
19. Commodore Hari Mohan Lal Saxena, NM (00093 K).
20. Commodore Narindra Nath Anand (00195-T), NM.
21. Surgeon Commodore Jai Krishna Suchdeva (75031-Z).
22. Commodore Chaman Lal Sachdeva (00077-Z) (Retd.).
23. Air Commodore Ram Lal Bhalla (3679) Administrative.
24. Air Commodore Madan Lal Sethi (4009), F(N).
25. Air Commodore Denzil Edward Satur, VM (4339), F(P).
26. Air Commodore Dilip Shankar Jog, VM (4608), F(P).
27. Col. Jaswinder Singh (IC-4559), Pioneers.
28. Col. Ravi Kumar Nanda (IC 5850), Artillery.
29. Col. Durjan Singh Shekhawat (IC 6177), Infantry.
30. Col. Raj Kumar Verma (IC 7456), Artillery.
31. Col. Virender Singh Bajwa (IC 7910), Infantry.
32. Col. Vir Karan Chawla (IC 7611), Artillery.

33. Col William Hector Grant (IC 4193), Infantry (Retd)

34 Col Raj Raj Chatterji (IC 3978), Signals (Retd.).

35. Gp Capt. Mukund Chatterjee (4530), AE(M).

36 Gp Capt Annaswami Sridharan, VM (4761), F(P).

No 24-Pres/81 —The President is pleased to approve the award of 'Bar to Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned person for distinguished service of an exceptional order .

Brig Bikram Singh Kanwar (IC 5973), AVSM, Infantry

No 25-Pres /81 —The President is pleased to approve the award of the 'Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :

1. Brig Om Parkash Joneja (DR 10051), Army Dental Corps
2. Brig Pratap Singh Kapur, (IC 7906), Artillery
3 Brig Rajendra Pal Singh, (IC 8114), Infantry.
4. Col Lakheshwar Singh Brara, (IC 4619), ASC.
5 Col Jagdish Chandra Bali (MR1133), AMC (Retd)
6. Group Captain Dalip Kumar Khashnobish (5432), AE(M)
7. Lt. Col Jasbinder Bir Singh (IC 11552), Armoured Corps
8. Lt Col Jagdish Chander Narang (IC 12340), Armoured Corps
9. Lt Col Sam Nariman Ginwala (IC 6815), Artillery.
10. Lt Col. (Local Colonel) Satish Kumar Saxena (IC 9852), Artillery (Retd)
11 Lt Col Winder Singh Chona (IC 11888), Engineers.
12. Lt. Col Raghu Nandan (IC 14296), Engineers.
13. Lt Col. Pralay Sankar Chaudhuri (TA 40445), Engineers, (Retd)
14 Lt Col Subhash Chintaman Nagarkar (IC 12091), 1 Gorkha Rifles (Posthumous).
15. Lt Col Rajesh Kochhar (IC 12572), Sikh
16. Lt. Col Tej Pal Singh Rawat (IC 12836), 4 Gorkha Rifles
17. Lt. Col. Kuldip Singh (IC 13975), 3 Gorkha Rifles.
18. Lt Col Tapan Roye (IC 13988), 4 Gorkha Rifles.
19. Lt Col Sudhindra Nath Ghosh (IC 8152), AOC.
20 Lt Col Shubhabrata Dutta (IC 7635), EME.
21. Lt Col Om Prakash Chaudhry (IC 11742) Army Education Corps
22. Lt Col. Baldev Krishen Bhandari (IC 7465), Intelligence Corps.
23 Commander Surendra Kumar Sharma (60026 Y), IN.
24. Commander Jayachandran Subiah (40173-A), IN.
25. Acting Commander Ashok Nandan Jethi (40226 Y), IN.
26. Acting Commander Om Prakash Bansal (00660 Z), IN
27. Wg. Cdr. Balchandra Ganesh Chitnis (5171), Logistics.
28. Wg. Cdr. Kamla Prasad Sharma (5939), AE(M).
29. Wg. Cdr. Sham Rao (6200), Accounts.
30. Wg Cdr. Nanak Chand Kaushal (6252), AE(L)
31. Wg Cdr Kapila Kak (6784), F(N)
32 Wg Cdr. Kalyanaraman Badrinarayanan (6826), AE (M).
33 Shri Chandra Pratap Singh, Commandant, 48 Bn. CRPF.
34. Maj. Naresh Kumar Abbott (IC 14813), 4 Gorkha Rifles.
35. Maj. Tsering Stobdan (IC 17479), JAK Rifles
36 Maj. Jaswant Singh Chandel (IC 23299), JAK Rifles.
37 Maj Sridhar Prasad Sharma (IC 26152), Grenadiers
38 Maj Rakshpal Krishan Vasudeva (IC 28313), Madras.
39 Maj Bhuchung Tshering Bhutia (IC 31320), 8 Gorkha Rifles
40. Maj Harbhajan Singh Dcol (IC 18231), EME
41. Maj. Chandra Shekhar Tak (MS 9788), AMC
42 Lieutenant Commander (SDB) Ram Prakash (83172 A).
43. Sqn Ldr Satya Pal Bhasin (7083), AE(L)
44. Sqn Ldr Raghu Nath Dass (7896), AE(L).
45 Sqn Ldr Shamir Choudhuri (8416), F(P)
46 Sqn Ldr Prabhu Singh (9985), Administrative
47. Shri Narbu Sherpa, Deputy Commandant, Assam Rifles.
48 Capt Harcharan Singh (IC 33683), ASC
49 IC 40012 Subedar Major Tiruvuru Simmachalam, EME.
50 JC 45388 Subedar Major Chabi Lal Rai SM, 4 Assam Rifles.
51. 205057 Master Warrant Officer Brahamadesam Venkataraman Venkatachalam, Air Field Safety Operator.
52. JC 65156 Subedar Dharam Singh, Jat
53 JC 71194 Naib Subedar Krishna Singh Chhetri, 7, Assam Rifles.
54 234436 Sergeant Muthukrishna Chettiar Sivagnanam, Air Frame Fitter
35 Chidanand Singh Mech (AR) III (909219 W), IN

No. 26-Pres/81 —The President is pleased to approve the award of the "KIRTI CHAKRA" for acts of conspicuous gallantry to —

1 G-105386 Pioneer Ram Ahir
General Reserve Engineer Force

(Effective date of the award : 7th July, 1979)

Large scale land slides, caused by torrential rains between the 1st and 3rd July, 1979, had blocked traffic on a 66 kilometre stretch of a road in the Tenga-Bomdila Sector The road was required to be cleared for traffic but no dozer operator was readily available with the Border Roads Task Force deployed in the area At that critical juncture Pioneer Ram Ahir of 1581 Pioneer Company (GREF) voluntarily offered his services and undertook the hazardous task of clearing the road Undeterred by the magnitude of the task he kept clearing the soil and debris from the road During this operation, he miraculously escaped on several occasions when his dozer was hit by huge falling boulders. Undeterred by these hazards, he worked on with his dozer and cleared the road for traffic by the 7th July, 1979

In this action, Pioneer Ram Ahir displayed conspicuous undaunted determination and devotion to duty of a very high order

2 5240, Village Guard Havildar Pukhu Khemnungan
Kenjong Village Guard Post,
Distrit Tuensang,
Nagaland.

(Effetive date of the award : 13th May, 1980)

On the 13th May, 1980, at about 12 30 p m when almost all the villagers of Kenjong village had gone to their fields leaving behind five village Guards and armed group of about 300 under ground hostiles entered the village along with about 100 porters On hearing noise made by the hostiles, Village Guard Havildar Pukhu Khemnungan, who was in his house with his family, came out with his loaded rifle and

found the village surrounded by the undergrounds armed with automatic weapons. Undaunted by the appearance of some of these hostiles in front of him, he fired his rifle and inflicted serious injuries on some of them. Consequently, the hostiles fired back at him and the serious injuries sustained by him made him un-conscious and the hostiles took away his rifle, killed his two daughters on the spot and injured his wife.

In this action, Village Guard Havildar Pukku Khemnungan displayed great courage, determination and devotion to duty of a high order.

3. 7169, Village Guard Tsangu Khemnungan (Posthumous)
Kenjong Village Guard Post,
Distrit Tuensang,
Nagaland.

(*Effective date of the award* : 13*th May*, 1980)

On 13th May, 1980, at about 12.30 p.m. when most of the residents of Kenjong village had gone to their fields and five Village Guards were left behind, about 300 underground hostiles, armed with authomatic weapons, entered the Village along with about 100 porters. On hearing their noise Village Guard Tsangu Khemnungan, who at that time was in his house, immediately came out with his loaded rifle and undaunted by the big strength of the hostiles, opened fire and killed one of the hostiles. In the subsequent encounter, he was hit by a bullet in his chest and he died on the spot.

In this action, Village Guard Tsangu Khemnungan displayed exceptional courage, determination and devotion to duty of a very high order.

4. 13729380, Rifleman Parshotam Dass (Posthumous)
Jammu and Kashmir Rifles.

(*Effective date of the award* : 5*th June*, 1980)

On the 5th June, 1980, fire broke out in an Infantry Battalion area at Nathuan Tibba in Jammu and Kashmir which became uncontrollable and was spreading towards the power generator and the diesel barrels storage of the battalion. Rifleman Parshotam Dass was a member of the fire fighting party deployed to prevent the fire from reaching the diesel barrels and the power generator.

The fire fighting party started fighting the fire with fire beaters but, despite their determined efforts, it soon engulfed the area upto a few yards of the generator. Realising the seriousnes, of the situation, Rifleman Parshotam Dass rushed a few yards forward and started beating the fire, single handedly, in total disregard to his personal safety. Although his uniform caught fire, he continued beating the fire vigorously and prevented it from spreading to the power generator and diesel barrels. In the process, he sustained serious burn injuries to which he sucumbed soon after.

In this action, Rifleman Parshotam Dass displayed exemplary courage, undaunted determination and devotion to duty of a very high order.

5. Flight Lieutenant Anil Kumar Mathur (13591) Flying (Pilot).

(*Effective date of the award* : 25*th November*, 1980)

On the 25th November, 1980, Flight Lieutenant Anil Kumar Mathur was authorised to flight test a Marut aircraft. On getting airborne, he experienced excessive skid to the right and the cirrective action taken by him failed to stabilise the aircraft. He also observed that the temperature of the right engine had significantly dropped following engine failure and the position of the tail plane setting was abnormal.

When Flight Lieutenant Anil Kumar Mathur decided to execute an immediate landing, he experienced a total hydraulic failure which made the flying controls and other systems inoperative. Consequently, on lowering the undercarriage, he found it very difficult to maintain level flight as trimmers were inoperative and on the lowering of flaps for landing, he had to use his full physical strength to control the aircraft. Braving all these handicaps and possible ride to his own death, he decided against abandoning the aircraft. Subsequently, he succeeded in landing the aircraft safely and made it available for fault investigation.

Flight Lieutenant Anil Kumar Mathur thus displayed exemplary courage, presence of mind and profesional competence of a high order.

V. K. DAR,
Secretary to the President

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 28th February 1981

RESOLUTION

No. 9-18/80-C.A.I.—A Coconut Development Board has been set up with effect from the 12th January, 1981, under the Coconut Development Board Act, 1979. The Board will be responsible for the integrated development of coconut industry in all its aspects including production, processing and marketing. With the setting up of the Board, the Government of India have decided to abolish the Indian Coconut Development Council, reconstituted vide Government of India Resolution No. 48012/4/76-C.A.I. dated the 28th November, 1977, with effect from the 21st January, 1981, in terms of clause 5 of the Resolution.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th March 1981

RESOLUTION

No. ERB-1/80/21/72.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. ERB-I-80/21/72. dated 10-2-1981, the Government of India have nominated further the following as the Member of the 'Programme Implementation Committee :

Shri Rajaram Mussadi,
1-A Burman Street,
Calcutta-700 007.

The 13th March 1981

CORRIGENDUM

Sub :—Programme Implementation Committee.

No. ERB-I/80/21/72.—Item No. 12, para 2 of the Resolution No. ERB-1/80/21/72, dated 10-2-1981 issued by the Ministry of Railways, Railway Board, should be read as under :—

'Shri S. R. Venkatesham, ex-Mayor, Hyderabad.

HIMMAT SINGH,
Secy. Railway Board.
ex-officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1981